



**The Bihar Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations)  
Act, 2013**

Act 21 of 2013

**Keyword(s):**

**Affiliation, Bihar Olympic Association, Certificate of Affiliation, District Sports Council, Observer, Special Resolution**

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 भाद्र 1935 (श0)  
(सं0 पटना 718) पटना, बुधवार, 11 सितम्बर 2013

---

विधि विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर 2013

सं0 एल0जी0-1-12/2013/लेज:178—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 07 सितम्बर, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दूबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

**बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013**

[बिहार अधिनियम 21, 2013]

**प्रस्तावना।**—खेल-कूद संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन के लिए तथा बिहार राज्य में खेल-कूद संगमों के कामकाज एवं क्रियाकलापों को सुकर बनाने एवं विनियमित करने और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की मान्यता एवं विनियमन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**अध्याय-1**

**प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**— (1) यह अधिनियम बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।**— इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “तदर्थ कार्यपालिका समिति” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-27 एवं 29 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा खेल-कूद संगम के क्रियाकलापों को जिसे अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया है;

(ख) “संबद्धता” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संबंध स्थापित करना;

(ग) “वार्षिक सामान्य बैठक” से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक;

(घ) “बिहार ओलंपिक संगम” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खेल-कूद में बिहार राज्य के प्रतिनिधित्व के प्रयोजनार्थ गठित संगम जो इस रूप में भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से सम्यक् रूप से संबद्ध किया गया है।

(ङ) “बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा गठित परिषद्;

(च) “संबद्धता प्रमाण पत्र” इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सम्बद्धता देते समय बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् एक राज्यस्तरीय खेल-कूद संगम अथवा जिला खेल-कूद परिषद्, एक जिला स्तरीय खेल-कूद संगम द्वारा निर्गत एक दस्तावेज और इसमें बिहार ओलंपिक संगम द्वारा निर्गत संबद्धता पत्र शामिल है;

(छ) “जिला” से अभिप्रेत बिहार राज्य का कोई राजस्व जिला;

(ज) “जिला स्तरीय खेल-कूद संगम” से अभिप्रेत है कोई खेल-कूद इकाई जो किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में राजस्व जिला का प्रतिनिधित्व करती हो और संबंधित जिला खेल-कूद परिषद् अथवा राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम से सम्यक् रूप से संबद्ध हो तथा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो;

(झ) “जिला खेल-कूद परिषद्” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् के नियंत्रणाधीन राजस्व जिला में कार्यरत बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा गठित परिषद्;

(ट) “निर्वाचन” से अभिप्रेत है खेल-कूद संगमों के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन;

(ठ) “कार्यपालिका निकाय” से अभिप्रेत है, सम्यक् रूप से निर्वाचित ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो खेल-कूद संगम के क्रियाकलापों का प्रबंध तथा नियंत्रण करता हो, चाहे जिस नाम से ऐसा निकाय जाना जाता हो;

(ड) “असाधारण सामान्य बैठक” से अभिप्रेत है वार्षिक सामान्य बैठक के सिवाय खेल-कूद संगम के सामान्य निकाय की विशेष बैठक;

(ढ) “सामान्य निकाय” से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम के मतदाता एवं गैर मतदाता सदस्यों का निकाय;

- (ण) “सरकार” से अभिप्रेत है राज्य सरकार, बिहार;
- (त) “पर्यवेक्षक” से अभिप्रेत है राज्य के द्वारा बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्, जिला खेल-कूद परिषद् या खेल-कूद संगम द्वारा निर्वाचनों की समीक्षा तथा खेल-कूद संगम की किसी अन्य कार्यवाही के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (थ) “पदधारी” से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय में ऐसा कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारित करता हो;
- (द) “प्रारंभिक खेल-कूद निकाय” से अभिप्रेत है राजस्व जिला में कार्यरत खेल-कूद इकाई, जो न तो राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम और न जिला स्तरीय खेल-कूद संगम हो और अनुमंडल या अंचल या नगर अथवा ग्राम स्तर पर कार्यरत हो और जो व्यक्तियों द्वारा गठित एवं जिला स्तरीय खेल-कूद संगम से संबद्ध हो;
- (ध) “रजिस्ट्रार” से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रार के कृत्यों का अनुपालन करने हेतु इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन निर्देशित रजिस्ट्रार और इसमें रजिस्ट्रार की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (न) “विनियम” से अभिप्रेत है, उपविधि से अनाच्छादित किसी अन्य विषय या टूर्नामेंट, कोचिंग प्रशिक्षण, अम्पायर का क्लिनिक के संचालन से संबंधित विषयों के लिए खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय द्वारा बनाया गया विनियम;
- (प) “विशेष संकल्प” से अभिप्रेत है, सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प जिसकी कार्य-सूची अभिलिखित की गयी हो और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित या पर्यवेक्षक द्वारा अभिप्रमाणित हो। मतदाताओं की कुल संख्या की कम से कम आधी संख्या से इस प्रयोजनार्थ गणपूर्ति होगी;
- (फ) “खेल-कूद संगम” से अभिप्रेत है राज्य में खेल-कूद एवं खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम, जिला स्तरीय खेल-कूद संगम अथवा प्रारंभिक खेल-कूद संगम;
- (ब) “राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम” से अभिप्रेत है राज्य में विशिष्ट खेल एवं खेल-कूद के लिए जिला स्तरीय खेल-कूद संगमों का निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय जो बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् तथा बिहार ओलंपिक संगम से सम्यक रूप से संबद्ध हो तथा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो।

#### अध्याय-11

#### रजिस्ट्रीकरण एवं गठन

**3. अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण।-** प्रारंभिक खेल-कूद निकाय के सिवाय इस अधिनियम के अधीन परिभाषित प्रत्येक खेल-कूद संगम से, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा की जायेगी।

**4. रजिस्ट्रार।-** निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कृत्यों के निर्वहन एवं दायित्वों के लिए रजिस्ट्रार होंगे:

परन्तु सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग को उतने सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति होगी जितना वे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु रजिस्ट्रार को सहायता करने के लिए समीचीन समझें।

**5. बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्।-** बिहार सरकार बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् नामक एक परिषद् का गठन करेगी जिसमें न्यूनतम तीन और अधिकतम सात सदस्य होंगे और निम्नलिखित रीति से नियुक्त किये जायेंगे:-

- |     |   |   |                      |
|-----|---|---|----------------------|
| (क) | सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  | - | अध्यक्ष (पदेन सदस्य) |
| (ख) | निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण   | - | सदस्य-सचिव           |
| (ग) | महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण  | - | सदस्य                |
| (घ) | राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम और सम्बद्ध बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से मनोनीत दो व्यक्ति | - | सदस्य                |

(ड) राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से राज्य सरकार द्वारा दो मनोनीत व्यक्ति - सदस्य

**6. जिला खेल-कूद परिषद्।-** बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् प्रत्येक राजस्व जिला के लिए जिला खेल-कूद परिषद् गठित करेगी जिसमें न्यूनतम तीन और अधिकतम सात सदस्य निम्नलिखित रूप से होंगे:-

(क) जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष (पदेन)

(ख) आरक्षी अधीक्षक - सदस्य

(ग) जिला स्तरीय खेल-कूद पदाधिकारी - सदस्य

(घ) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय खेल-कूद संगम से मनोनीत दो व्यक्ति - सदस्य

(ङ) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से मनोनीत दो व्यक्ति - सदस्य

**7. बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम को संबद्धता।-(1)** इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक राज्य खेल-कूद संगम बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा संबद्धता के लिए आवेदन देने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम संबद्धता के लिए बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् को विहित रीति से एक आवेदन देगा। राज्य खेल-कूद संगम के लिए मान्यता हेतु आवेदन प्राप्त होने पर बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् संबद्धता देने के लिए निर्बंधन एवं शर्तों के संबंध में संतुष्ट होने के बाद राज्य खेल-कूद संगम को संबद्धता देने वाला एक आदेश पारित करेगा और राज्य खेल-कूद संगम को संबद्धता प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और ऐसा प्रमाण पत्र देने के बाद राज्य खेल-कूद संगम, बिहार राज्य खेल कूद परिषद् से संबद्धता प्राप्त समझा जायेगा :

परन्तु सम्पूर्ण बिहार राज्य में, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् एक से अधिक राज्य खेल-कूद संगम को एक विशिष्ट खेल और/अथवा खेल-कूद में संबद्धता नहीं देगा:

परन्तु और कि यदि कोई संगम एक ही विशिष्ट खेल या खेल-कूद में संबद्धता देने हेतु आवेदन दिया हो तो बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् यह निर्णय लेगा कि कौन सा राज्य खेल-कूद संगम किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में संबद्धता प्राप्ति के लिए पात्र है और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा विनिश्चित रीति से उस खेल और/या खेल-कूद में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा:

परन्तु और भी कि संगम की संबद्धता देने के संबंध में निर्णय लेते समय बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् यह भी विचार करेगा की उक्त राज्य खेल-कूद संगम राष्ट्रीय खेल-कूद फेडरेशन से संबद्ध है अथवा नहीं:

परन्तु और भी कि राज्य खेल-कूद संगम की संबद्धता देने के संबंध में निर्णय लेते समय बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् विशिष्ट खेल अथवा खेल-कूद में राज्य खेल-कूद संगम द्वारा प्रतिनिधित्व होने हेतु राजस्व जिलों की अधिकतम संख्या पर विचार करेगा।

**8. जिला खेल-कूद परिषद् द्वारा जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को सम्बद्धता।-(1)** इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय खेल-कूद संगम सम्बद्धता हेतु जिलास्तरीय खेल-कूद परिषद् को आवेदन देने का हकदार होगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत जिला खेल-कूद संगम द्वारा आवेदन किये जाने पर, जिला खेल-कूद परिषद् का, इस बात का समाधान हो जाने पर कि संगम सम्बद्धता प्राप्ति के लिए निर्बंधन एवं शर्तों को पूरा करता है, सम्बद्धता देने हेतु एक आदेश तुरंत पारित करेगा और जिला खेल-कूद संगम को सम्बद्धता प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा:

परन्तु जिला खेल-कूद परिषद् किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में किसी विशिष्ट जिले में एक से अधिक सम्बद्धता जिलास्तरीय खेल-कूद संगम को नहीं देगा:

परन्तु और कि यदि किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में जिला खेल-कूद परिषद् को सम्बद्धता प्राप्ति के लिए आवेदन किया हो तो जिला खेल-कूद परिषद् यह निश्चित करेगा कि कौन संगम जिला स्तरीय

खेल-कूद संगम के रूप में उस विशिष्ट खेल अथवा खेल-कूद में बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा विहित रीति के अनुसार हकदार है।

(3) इस अभ्यावेदन में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी बिहार ओलम्पिक संगम से सम्बद्ध विद्यमान जिला खेल-कूद संगम जिला खेल-कूद परिषद् से सम्बद्ध समझा जायेगा:

परन्तु जिला-खेल-कूद परिषद् को जिला खेल-कूद संगम के समुचित कार्यकलापों की जाँच करने और सुनिश्चित करने का प्राधिकार होगा:

परन्तु और कि जिला खेल-कूद परिषद् ऐसी जाँच पड़ताल करने के बाद, जैसी वह समीचीन समझे, संतुष्ट होने पर कि जिला खेल-कूद संगम अपना समुचित कार्यकलाप आयोजित नहीं किया है तो वह ऐसा कदम उठायेगा जैसा वह बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा विहित रीति से जिला खेल-कूद संगम के शासी निकाय को संगठित और गठित करने हेतु, समीचीन समझे।

**9. खेल-कूद संगमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।-**(1) किसी खेल या खेल-कूद के लिए कोई विद्यमान राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम और कोई अन्य भावी राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम और उससे सम्बद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देंगे जिसमें नाम, पता, प्रतिनिधित्व क्षेत्र, खेल-कूद संगम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया खेल-कूद एवं अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट दस्तावेज के साथ कार्यपालिका निकाय का पूर्ण विवरण रहेगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उपधारा (1) की अध्यक्षताएँ संतोषप्रद नहीं हैं तो वह आवेदक को 15 दिनों की नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के बाद, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण की या तो स्वीकृति का या अस्वीकृति का समुचित आदेश पारित करेगा।

**10. खेल-कूद संगम का संविधान का निर्माण।-** इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक खेल-कूद संगम अपना संविधान बनायेगा जिसमें निम्नलिखित रहेगा:-

भाग क-ज्ञापन, जिसमें उसका उद्देश्य एवं प्रवर्तन का क्षेत्र अंतर्विष्ट रहेगा;

भाग ख-उपविधि ।

**11. उप-विधि।-**(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक खेल-कूद संगम, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, अन्य बातों के अलावे, अपनी उपविधि में निम्नलिखित प्रावधान करेगा;

(क) खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन, समय-समय पर, लोकतांत्रिक रीति से किया जायेगा;

(ख) कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन प्रत्येक चार वर्ष पर कम से कम एक बार होगा;

(ग) जिला स्तरीय संगम संबंधित राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के उन निर्णयों या निदेशों के संगत प्रावधान करेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुशरण में हों;

(घ) बिना किसी विभेद के समाज के प्रत्येक वर्ग के खेल-कूद एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान।

(2.) प्रत्येक खेल-कूद संगम अपनी उपविधि में निर्वाचन के लिए प्रक्रिया निगमित करेगा जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) एक स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान ;

(ख) निर्वाचन की सूचना निर्गत होने के पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन ;

(ग) पूर्व वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखा और वैध मतदाता सूची के साथ संगम के सचिव के नाम एवं मुहर के अधीन निर्गत निर्वाचन के लिए कम से कम 21 दिन पूर्व सूचना।

(3.) उपधारा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपविधि में कोई संशोधन एक विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जायेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित एवं रजिस्ट्रीकृत किया जायगा।

(4) यदि रजिस्ट्रार की राय हो कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो वह प्रस्तावित संशोधन को कारण सहित उसपर पुनर्विचारण के लिए खेल-कूद संगम को वापस कर सकेगा।

खेल-कूद संगम, तत्पश्चात्, प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचारण करेगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं आपत्तियों को दूर करने के बाद नया प्रस्तावित संशोधन रजिस्ट्रार के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर सकेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन को या तो अनुमोदित करेगा या अननुमोदित करेगा और कारण सहित अपना आदेश संबंधित खेल-कूद संगम को संसूचित करेगा।

**12. खेल-कूद संगम की सदस्यता।**-(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जिला स्तरीय खेल-कूद संगम संबंधित राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम का एक सदस्य होगा।

(2) प्रत्येक प्रारंभिक खेल-कूद निकाय संबंधित जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का एक सदस्य होगा।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सदस्यता में कोई जुड़ाव, विलोपन अथवा परिवर्तन केवल खेल-कूद संगम के सामान्य निकाय की बैठक में किया जा सकेगा।

**13. खेल-कूद संगम के गठन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएँ।**-(1) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम कम से कम छः जिला स्तरीय खेल-कूद संगमों द्वारा गठित किया जायेगा।

(2) जिला स्तरीय खेल-कूद संगम कम से कम तीन प्रारंभिक खेल-कूद निकायों द्वारा गठित किया जायेगा।

(3) प्रारंभिक खेल-कूद निकाय का गठन कम से कम सात व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

**14. कार्यपालिका निकाय का गठन।**- कार्यपालिका निकाय पदधारियों को सम्मिलित करते हुए कम से कम पाँच और अधिकतम इक्कीस सदस्यों को मिलाकर गठित किया जायेगा।

**15. बिहार ओलंपिक संगम तथा जिला ओलंपिक संगम।**-(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बिहार ओलंपिक संगम को बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा संबद्धता दिया जाएगा और एक राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम समझा जायेगा।

(2) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त एवं संबद्धता प्राप्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम बिहार ओलंपिक संगम से संबद्धता प्राप्त समझा जायेगा।

(3) बिहार ओलंपिक संगम बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से सबद्धता प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम को संबद्धता प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(4) यदि बिहार ओलंपिक संगम, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से संबद्धता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम को, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा आवेदन दिये जाने पर, चाहे जिस कारण से, संबद्धता प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दे तो बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् संबद्धता प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा निर्गत वह प्रमाण पत्र बिहार ओलंपिक संगम द्वारा निर्गत समझा जायेगा।

### अध्याय- III

#### निर्वाचन

**16. निर्वाचन।**-(1) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् के एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में आयोजित किया जायेगा। जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन उसके राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के पर्यवेक्षक एवं जिला खेल-कूद परिषद् के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में आयोजित किया जायेगा।

(2) खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के समापन पर, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित सदस्यों के नाम एवं पता देते हुए पर्यवेक्षकों द्वारा सम्यकरूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र निर्गत होने पर निर्वाचित कार्यपालिका निकाय खेल-कूद संगम का प्रभार लेगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ रजिस्ट्रार और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् को भेज देगा।

**17. मतदान का अधिकार।**-(1) प्रारंभिक खेल-कूद निकाय के प्रत्येक सदस्य को अपने कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक संबद्धता प्राप्त प्रारंभिक खेल-कूद निकाय को जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के लिए उस प्रारंभिक खेल-कूद निकाय की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के लिए उस जिला स्तरीय खेल-कूद संगम की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।

(4) किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से जिला स्तरीय खेल-कूद संगम या राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार नहीं होगा।

**18. निर्वाचन लड़ने के लिए पात्रता।-**(1) प्रारंभिक खेल-कूद निकाय का निर्वाचन लड़ने हेतु सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से पात्र होंगे।

(2) सभी संबद्धता प्राप्त प्रारंभिक खेल-कूद निकायों के पदाधिकारी जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र होंगे।

(3) सभी संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के पदाधिकारी राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र होंगे।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले किसी को भी इस अधिनियम की अनुसूची ख में विहित अर्हताएँ रखनी होगी।

#### अध्याय - IV

##### विवादों का निपटारा ।

**19. माध्यस्थम् एवं सुलह।-**(1) यदि किसी खेल-कूद संगम की संबद्धता का दावा, गठन, क्रियाकलाप, प्रबंधन, निर्वाचन से संबंधित, यदि कोई, विवाद उत्पन्न हो तो उसे माध्यस्थम् एवं सुलह के माध्यम से हल किया जायेगा।

(2) माध्यमस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 26), समय-समय पर यथा संशोधित, उपधारा (1) के अधीन निर्देशित माध्यमस्थम् एवं सुलह की कार्यवाही पर लागू होगा।

#### अध्याय - V

##### लेखा, लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण ।

**20. लेखा।-** प्रत्येक खेल-कूद संगम अपना लेखा अद्यतन रखेगा।

**21. लेखा-परीक्षा।-** प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अपनी लेखाओं का लेखा परीक्षण करवायेगा तथा अपने संबद्ध जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करेगा।

**22. रिटर्न।-** प्रारंभिक खेल-कूद निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अपने जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का, जिला स्तरीय खेल-कूद संगम अपने राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम को और राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम द्वारा बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् को लेखा विवरण भेज दिया जायेगा।

**23. अभिलेख मंगाने और निरीक्षण करने की शक्ति।-**(1) रजिस्टार या बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच पड़ताल के लिए खेल-कूद संगम का कोई अपेक्षित अभिलेख मांग सकेगा।

(2) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच पड़ताल के लिए अपेक्षित किसी संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का कोई अभिलेख मांग सकेगा।

(3) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् राज्य खेल-कूद संगम, जिला खेल-कूद परिषद् या जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का कोई अभिलेख, इस अधिनियम के अधीन जाँच पड़ताल के लिए मंगा सकेगा।

#### अध्याय - VI

##### असंबद्धता, जाँच पड़ताल और निरर्हता

**24. असंबद्धता।-** (1) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम, सम्यक रूप से सुनवाई के पश्चात् वैसे जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को जिसने इस अधिनियम के अध्याय VIII में दी गयी बाध्याताओं में से किसी को पूरा नहीं किया हो, आगामी दो वर्षों के लिए असंबद्ध कर सकेगा तथा रजिस्टार को संसूचित कर देगा और तब धारा-27 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।



(2) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्, सम्यक सुनवाई के बाद किसी राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम को, जो इस अधिनियम के अध्याय VIII में दी गयी बाध्यताओं में से किसी को पूरा नहीं किया जो, आगामी दो वर्षों के लिए असंबद्ध कर सकेगा और रजिस्ट्रार को संसूचित कर सकेगा जो तब धारा-27 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

**25. निरर्हता के लिए आधार।-** (1) कोई भी खेल-कूद संगम निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर कार्रवाई किये जाने का दायी होगा:-

(क) यदि खेल-कूद संगम लेखा संधारण करने और उसे धारा-20 के अधीन सुपूर्द करने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण के लिए उसकी मांग किये जाने पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

(ख) यदि खेल-कूद संगम, यथास्थिति, अपनी उपविधि के अनुसार अथवा अध्याय VII के प्रावधानों के अधीन आदेश दिये जाने पर निर्वाचन आयोजित करने में असफल रहता है;

(ग) यदि खेल-कूद संगम अध्याय VIII के अधीन अपनी बाध्यताओं को कार्यान्वित करने में असफल रहता है;

(घ) यदि खेल-कूद संगम या उसका पदधारी अथवा कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक् लाभ देने हेतु निधि का दुर्विनियोग करता है या खेल-कूद संगम के कार्यकलापों का कुप्रबंध करता है।

(2) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम, सुनवाई का अवसर देने के बाद, रजिस्ट्रार को अनुशंसा कर सकेगा कि उससे संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को अरजिस्ट्रीकृत कर दिया जाय, यदि वह -

(क) टूर्नामेंट के विषय में राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता हो और/अथवा उसके विनियमों का उपहास करता हो;

(ख) संबद्धता फीस का भुगतान नहीं करता है;

(ग) स्वयं अपनी रजिस्ट्रीकृत उपविधि के प्रवधानों का अन्यथा उल्लंघन करता है।

**26 जाँच-पड़ताल।-**(1) रजिस्ट्रार - (क) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम या बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् के अनुरोध पर, अथवा

(ख) खेल-कूद संगम की कुल सदस्य संख्या के कम से कम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जाँच पड़ताल कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार अथवा किसी जाँच पड़ताल के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अभिलेखों का निरीक्षण करने और जाँच पड़ताल के प्रयोजनार्थ संबंधित खेल-कूद संगम के किसी दस्तावेज के उपस्थापन के लिए निदेश देने और उसकी प्रति लेने की सभी शक्तियाँ होंगी।

**27. निरर्हताएँ।-**(1) जाँच पड़ताल करने के बाद, रजिस्ट्रार, संबद्धता प्राप्त खेल-कूद संगम को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और संबद्धता प्राप्त करने हेतु खेल-कूद संगम को निरर्हित कर सकेगा और आगे -

(क) एक तदर्थ कार्यपालिका समिति नियुक्त कर सकेगा तथा तीन माह के भीतर कार्यपालिका निकाय का नया निर्वाचन करवा सकेगा;

(ख) यदि राशि का दुर्विनियोग हो तो वह विधि के अनुसार करवाई कर सकेगा।

(2) किसी खेल-कूद संगम का पदाधिकारी, जो उप धारा (1) के अधीन निरर्हित हो, को उक्त निरर्हता की तिथि से किसी खेल-कूद संगम के चुनाव में छः वर्षों की अवधि के लिए, लड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**28. जिलों एवं राज्य के नाम का उपयोग या प्रतिनिधित्व पर रोक।-**(1) रजिस्ट्रीकृत एवं मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के बिना अधिकृत किये हुए किसी भी व्यक्ति या समूह या व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी खेल या खेल-कूद में बिहार राज्य को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) कोई भी खेल-कूद संगम अभिव्यक्ति "बिहार" अथवा किसी जिले का नाम, उसका भाग के रूप में उपयोग करने अथवा किसी खेल-कूद क्रियाकलाप का, जो बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो,

अथवा किसी नेशनल फेडरेशन, बोर्ड की सहबद्धता प्राप्त इकाई के रूप में कोई जिला अथवा भारत का प्रतिनिधित्व करने का आशयित संगम अथवा किसी अन्य रूप से, चाहे जो भी हो, तब तक हकदार नहीं होगा या जिम्मा नहीं लेगा जब तक कि वह खेल-कूद संगम इस अधिनियम के अधीन राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त न हो।

(3) जो कोई भी उपर की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है उसे, दोष सिद्ध हो जाने पर, छः महीने से अनधिक कारावास या दस हजार रूपये से अनधिक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(4) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा।

(5) रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का प्रशमन, लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, कर सकेगा। इस धारा के अधीन अपराध का प्रशमन हो जाने पर, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी नहीं रहेगी।

## अध्याय VII

### संक्रमण

29. मान्यता।- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य या जिला स्तरीय खेल अथवा खेल-कूद क्रियाकलापों का जिम्मा लेने वाला कोई संगम और सोसाईटिज रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता प्राप्त होने हेतु इच्छा करने का और रजिस्ट्रार को आवेदन देकर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समाधान प्रद रूप में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपनी उपविधि में संशोधन करेगा तथा इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को सुपूर्द कर देगा।

(2) इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से तीस दिनों के भीतर यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया जाय अथवा यदि उपधारा (1) के अधीन आच्छादित खेल-कूद की उपविधि, इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति तक नहीं बनाई जाय तो रजिस्ट्रार खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय को अधिक्रान्त कर देगा और खेल-कूद संगम में कार्यकलापों का प्रबंध करने हेतु एक तदर्थ कार्यपालिका समिति की नियुक्ति करेगा। वह तदर्थ कार्यपालिका समिति एक असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगी और प्रभार लेने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपविधि का संशोधन करवायेगी, तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और तब नया निर्वाचन संचालन हेतु अग्रसर होगी।

(3) उपविधि में संशोधन के पश्चात्, निम्नलिखित मामले में, ऐसे संशोधन की तिथि से तीस दिनों के भीतर नया निर्वाचन आयोजित किया जायेगा:-

(क) जहाँ पूर्ण निर्वाचित कार्यपालिका निकाय के अधिक्रान्त होने के बाद ऐसा संशोधन किया गया हो;

(ख) पूर्व निर्वाचित कार्यपालिका निकाय मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया हो, जिसमें अधिनियम के अधीन उपबंधित से अन्यथा सदस्य शामिल हो:

परन्तु मतदाताओं और निर्वाचन लड़ने के लिए व्यक्तियों की पात्रता उपधारा (4) के आधार पर विनिश्चित की जायेगी।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के आरम्भ से विभिन्न राज्य स्तरीय खेल-कूद संगमों और जिला स्तरीय खेल-कूद संगमों के कार्यपालिका निकायों के पदाधिकारी द्वारा उप धारा (3) के अधीन किसी नये निर्वाचन के संचालन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित रीति से विनिश्चित किये जायेगे:-

(क) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के लिए बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल-कूद संगमों द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर और उस रिटर्न के आधार पर इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि को बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से प्राप्त अभिलेख;

(ख) जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के लिए इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि को सम्बद्धता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल-कूद परिषद् द्वारा प्रथमतः दाखिल रिटर्न के आधार पर।

**30. रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति।-**(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सभी खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम संख्या-21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए हों और धारा-29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता के लिए इच्छा की हो, ऐसी इच्छा किए जाने की तिथि से अस्तित्व में नहीं रहेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति होने पर भी, इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व उद्भूत सभी दावे अथवा उपगत दायित्व या आरम्भ की गई कार्रवाई, यथास्थिति किया जायेगा, भुगतेय होगा अथवा जारी रहेगी मानो रजिस्ट्रीकरण की विद्यमानता समाप्त न हुई हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर, संगम की सम्पत्ति, संगम की उपविधि के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति अथवा व्यष्टि निकाय में निहित होगी, जिसमें वह सम्पत्ति इस अधिनियम के आरम्भ के तुरंत पूर्वनिहित हो।

## अध्याय-VIII

### खेल-कूद संगम के अधिकार एवं बाध्यताएँ

**31. भाग लेने का अधिकार।-** सम्बद्धता प्राप्त खेल-कूद संगम की उपविधि एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खेल-कूद संगम को जिससे कोई खेल-कूद संगम सम्बद्ध है, द्वारा संचालित खेल-कूद क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा।

**32. राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम की बाध्यताएँ।-** बिहार ओलम्पिक संगम के अलावे प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम निम्नलिखित करेंगे:-

- (i) प्रत्येक वर्ष कम-से-कम सिनियर एवं जूनियर के लिए एक अन्तर जिला राज्य चैम्पियनशिप;
- (ii) राष्ट्रीयस्तर पर भाग लेने हेतु अपने खिलाड़ियों एवं दल को भोजना;
- (iii) स्वयं या बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से मिलकर वर्षपर्यन्त खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण एवं कोचिंग (शिक्षण) की व्यवस्था करना;
- (iv) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार, छात्रवृत्ति, मेडल या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।

**33. जिला स्तरीय खेल संगम की बाध्यताएँ।-** बिहार ओलम्पिक संगम के अलावे प्रत्येक जिला स्तरीय खेल-कूद संगम निम्नलिखित करेंगे:-

- (1) प्रत्येक वर्ष सिनियर एवं जूनियर के लिए अन्तर जिला स्तरीय चैम्पियनशीप कराना;
- (2) अपने खिलाड़ियों एवं दलों को राज्य स्तर पर भाग लेने हेतु भोजना;
- (3) स्वयं या बिहार राज्य खेलकूद परिषद् से मिलकर वर्षपर्यन्त प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था करना;
- (4) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार, छात्रवृत्ति, मेडल या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।

## अध्याय- IX

### प्रकीर्ण

**34. नियम बनाने की शक्ति।-**(1) राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु राज्य सरकार नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के तहत बनायी गयी प्रत्येक नियमवाली, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वे सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त उत्तरवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन, नियमावली में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियमावली नहीं बनायी जाय तो तत्पश्चात्, नियमावली,

यथास्थिति, उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण का इस नियमावली के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**35. कठिनाईयों को दूर किया जाना।-** इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर, ऐसा निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अधिनियम के लागू होने के दिन से तीन वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

**36. अधिनियम के अधीन की गयी कार्रवाई का संरक्षण।-** राज्य सरकार के विरुद्ध या किसी अधिकृत अधिकारी या पदाधिकारी या राज्य सरकार के सेवक के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में किये गये किसी कार्य या किये जानेवाले कार्य के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

**37. अनुसूची क, ख और ग में संशोधन करने की शक्ति।-** अनुसूची क, ख और ग के अधीन उपबंधित सूची में कोई जुड़ाव या बदलाव या विलोपन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा शासित होंगे:-

(क) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्, एक विशेष संकल्प पास कर, रजिस्ट्रार को एक लिखित सलाह भेज सकता है।

(ख) लिखित संकल्प की प्राप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रार प्रस्तावित जुड़ाव, बदलाव या विलोपन किये जाने की सूचना को प्रकाशित करेंगे।

(ग) ऐसी सूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के पश्चात्, राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया जायेगा, और अगर राज्य सरकार उचित समझे तो यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन सभी अधिसूचना को, इनके जारी किये जाने के पश्चात्, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष यथाशीघ्र रख दिया जायेगा।

**38. अपील।-** कोई खेल-कूद संगम या व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किये गये आदेश से व्यथित हो, वह इस आदेश के विरुद्ध बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् में, ऐसे आदेश के निर्गत होने के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण, ऐसे आदेश निर्गत होने के तीस दिनों के अंदर, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, संस्थित होगा;

परन्तु कि निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण बिहार, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधक के आदेश के विरुद्ध अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

**39. व्यावृत्ति।-** इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व सोसाईटिज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अधीन खेल-कूद संगम द्वारा लिये गये विधिसम्मत या लिये जाने के आशयित विधिसम्मत कार्य, इस अधिनियम के अधीन, खेल-कूद संगम रजिस्ट्रीकृत होने के कारण, किया गया माना जायेगा।

**40. अन्य अधिनियम के अधीन निर्मित सोसाईटिज पर प्रभाव।-** (1) इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व किसी अन्य विधि के अधीन खेल-कूद के प्रयोजनार्थ स्थापित और रजिस्ट्रीकृत यदि किसी सोसाईटी अथवा कंपनी में, इसका नाम अभिव्यक्ति "बिहार" के भाग के रूप में अथवा राज्य के किसी जिले या उसके भाग के नाम के रूप में अन्तर्विष्ट हो तो वह सोसाईटी, यथास्थिति "बिहार" अथवा जिले का नाम, इस अधिनियम के आरम्भ होने के तीस दिनों के भीतर, सोसाईटी के रजिस्ट्रीकृत नाम को हटाकर, संशोधित कर देगी।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान को पूरा करने में यदि कोई सोसाईटी असफल रहती है और वह सोसाईटी इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने हेतु इच्छा नहीं करे तो उस सोसाईटी का अस्तित्व इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन समाप्त हो जायेगा।

**अनुसूची- 'क'**

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिप्रमाणित सदस्यों की सूची,
2. कार्यपालिका निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची,
3. मान्यता प्रमाण पत्र,
4. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाये गये ज्ञापन एवं उपविधि (दो प्रति में),
5. समिति की कार्यवाही की कार्य-सूची,
6. अस्तित्व में रहनेवाले संगम के मामले में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपविधि के बनाने की बचनवद्धता;
7. अद्यतन संपरिक्षित लेखा।

**अनुसूची - ख**

निर्वाचन लड़ने और पदधारी का पदधारण करने के लिए अर्हताएँ:-

1. वह भारत का नागरिक हो;
2. उससे संबंधित खेल-कूद संगम के प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित सूचीबद्ध एक अर्हताओं में एक अवश्य रखना;
  - (क) उसका जन्म वहाँ हुआ हो।
  - (ख) वह साधारणतया वहाँ का निवासी है।
  - (ग) वहाँ कार्य करता है।
  - (घ) वहाँ कोई संपत्ति रखता है।
3. वह किसी अपराधिक मामले में दोष सिद्ध न हो।
4. वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।

**अनुसूची - ग**

सरकार द्वारा संधारित किये जाने वाले आज्ञापक अभिलेख-

- (क) सदस्यों की रजिस्टर
- (ख) कार्यपालिका निकाय की बैठक की कार्य सुपुस्तिका
- (ग) सामान्य निकाय की बैठक की कार्य सूची पुस्तिका
- (घ) लेखा रजिस्टर
- (ङ) क्रियाकलापों, खेल-कूद और उपलब्धियों का अभिलेख।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उज्ज्वल कुमार दूबे,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

11 सितम्बर 2013

**सं0 एल0जी0-1-12/2013/179/लेज:।**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अनुमत **बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उज्ज्वल कुमार दूबे,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

**THE BIHAR SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION  
AND REGULATION OF SPORTS ASSOCIATIONS) ACT, 2013**

**[Bihar Act 21, 2013]**

**AN  
ACT**

**Preambles.**-To provide for registration, recognition and regulation of sports associations and to facilitate and regulate activities and affairs of the Sports Associations in the State of Bihar, and also for recognition and regularization of right to represent State of Bihar in different national and international sports events.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty fourth year of the Republic of India as follows:-

**CHAPTER-1  
PRELIMINARY**

1. *Short title, extent and commencement.*-This Act may be called The Bihar Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2013.

(1) It shall extend to the whole of the State of Bihar;

(2) It shall come into force at once;

2. *Definitions.*- In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) 'Ad-hoc Executive Committee' means an Executive body, which is temporarily entrusted with the management of the affairs of a Sports Association by the Registrar under Section-27 and 29 of this Act.

(b) 'Affiliation' means establishment of a relationship for the purpose of achieving the objective of this Act.

(c) 'Annual General Meeting' means the annual meeting of the General Body of a Sports Association.

(d) 'Bihar Olympic Association' means the Association constituted for the purpose of representation of the State of Bihar in the National games and which is recognized as such by the Indian Olympic Association and is duly affiliated to the Bihar State Sports Council.

(e) Bihar State Sports Council shall means the council constituted by Government of Bihar in exercise of powers conferred under section-5 of this Act.

(f) 'Certificate of Affiliation' means a document issued by the Bihar State Sports Council, a State Level Sports Association or District Sports Council or A District Level Sports Association while granting Affiliation under the provisions of this Act and shall include a letter of Affiliation issued by the Bihar Olympic Association.

(g) 'District' means a revenue district of State of Bihar.

(h) 'District Level Sports Association' means a sports unit, which represents a Revenue District, in a particular game or sports and is duly affiliated to the concerned District Sports council or State Level Sports Association and is registered with the Registrar.

(i) 'District Sports Council' means a council constituted by the Bihar State Sports Council operating in a Revenue District under the control of the Bihar State Sports Council.

- (j) 'Election' means election of the Executive Body of a Sports Associations.
- (k) 'Executive Body' means a group of duly elected persons who manage and control the affairs of a Sports Association, by whatever name such body may be called.
- (l) 'Extraordinary General Meeting' means a special meeting of the General Body of a Sports Association other than an Annual General Meeting,
- (m) 'General Body' means the body of all voting and non-voting members of a sports Association.
- (n) 'Government' means the Government of the State of Bihar.
- (o) 'Observer' means a person appointed by the Registrar, for monitoring of Elections and any other proceedings of the Bihar State Sports Council, a District Sports council or a Sports Association.
- (p) 'Office Bearer' means any person who holds the post of the President, Vice-President, Secretary or Treasurer in the Executive Body of a Sports Association.
- (q) 'Primary Sports Body' means a sports unit operating in a revenue district which is neither a State Level Sports Association nor a District Level Sports Association and is working at sub-division or Anchal or city or village level and is constituted by Individuals and is affiliated to a District Level Sports Association.
- (r) 'Registrar' means the Registrar referred to in Section 4 of this Act to perform the functions of the Registrar and includes any person appointed to assist the Registrar when exercising all or any of the powers of the Registrar.
- (s) 'Regulations' means regulations framed by the Executive Body of a Sports Association in the matter of conducting tournaments, coaching, training, Umpire's clinic or any other matter not covered under the bye-laws.
- (t) 'Special Resolution' means a resolution passed by two third majorities of members present and voting in a General Body meeting the minutes of which meeting are recorded and signed by the Office Bearers and attested by the Observer. Presence of at least half of the total number of voters shall constitute a quorum for this purpose.
- (u) 'Sports Association' means a State Level Sports Association, District Level Sports Association or a Primary sports body constituted to promote sports and games in the State.
- (v) 'State Level Sports Association' means an elected representative body of District Level Sports Associations, for particular game or sports in the State which is duly affiliated to the Bihar State Sports Council and to Bihar Olympic Association and is registered by the Registrar.

## CHAPTER-II

### REGISTRATION AND CONSTITUTION

**3. Compulsory Registration.**-Every sports Association defined under this Act, other than a primary Sports Body, is required to be registered under the provisions of this Act.

**4. Registrar.-** Director, Student and Youth Welfare, Art, Culture & Youth Department, Government of Bihar shall be the Registrar for discharging duties and responsibilities of Registrar under this Act.

Provided that Secretary, Department of Art, Culture and Youth Affairs shall have power to appoint as many Assistant Registrar, as he may deem expedient to assist the Registrar to discharge his function under this Act.

**5. Bihar State Sports Council.-** Government of Bihar, shall constitute a council known as Bihar State Sports Council, which shall consist of not less than three and not more than seven Members and shall be appointed in the following manner.

- (a) Secretary, Art, Culture and Youth department -Chairman Ex-Officio
- (b) Director, Youth & Students welfare - Member Secretary
- (c) Director General, Bihar State Sports Authority - Member
- (d) Two persons to be nominated by State Government from amongst registered State Sports Association and affiliated to Bihar State Sports Council - Member
- (e) Two persons to be nominated by State Government from amongst outstanding sports persons of the State - Member

**6. District Sports Council.-**Bihar State Sports Council shall constitute a District Sports Council for each revenue district comprising of not less than three and not more than seven members in the following manner -

- (a) District Magistrate - Chairman, Ex-Officio
- (b) Superintendent of Police - Member
- (c) District Level Sports Officer - Member Secretary
- (d) Two persons to be nominated by Bihar State Sports Council from amongst registered District Level Sports Association - Member
- (e) Two persons to be nominated by Bihar State Sports Council from amongst sports persons of the district - Member

**7. Affiliation of State Level Sports Association by Bihar State Sports Council.-**(1) Every state Sports Association registered by Registrar under this Act shall be entitled to apply for affiliation by Bihar State Sports Council.

(2) Every registered State Sports Association shall make an application in prescribed manner to Bihar State Sports Council for grant of affiliation

On receipt of application for State Sports Association for grant of affiliation, Bihar State Sports Council, shall on being satisfied, regarding terms and condition for grant of affiliation, pass an order granting affiliation to State Sports Association and shall issue a certificate of affiliation to the State Sports Association and after such certificate having been granted, State Sports Association shall be deemed to be affiliated to Bihar State Sports Council;

Provided that in the entire State of Bihar, Bihar State Sports Council shall not grant affiliation to more than one State Sports Association in one particular game and or sport;

Provided further that if many Associations have applied for grant of affiliation in one particular game or sports, Bihar State Sports, Council shall decide which of such State Sports Association in a particular game or sports is eligible for



grant of affiliation and to represent the State of Bihar in that game and or sport in the manner to be decided by Bihar State Sports Council;

Provided further also that in deciding affiliation the Bihar State Sports Council shall also consider whether the said State Sports Association is affiliated to the National Sports Federation or not;

Provided further also that in deciding affiliation to State Sports Association Bihar State Sports Council shall also take into consideration maximum number of revenue district being represented by State Sports Association in that particular game and or sport.

**8. Affiliation of District level sports association by District Sports Council.**-(1) District Level Sports Association registered by Registrar under this Act shall be entitled to make an application to District Level Sports Council for grant of affiliation.

(2) On an application made by registered District Sports Association.

District Sports Council, on being satisfied that the Association fulfils the terms and condition for grant of affiliation, shall immediately pass an order granting affiliation and issue a certificate of affiliation to District Sports Association;

Provided that District Sports Council shall not grant affiliation to more than one District Level Sports Association in a particular game or sport in a particular district;

Provided further that if many Association in a particular game and sports make an application for grant of affiliation to District Sports Council, District Sports Council shall decide which of the Association deserves to be affiliated as District Level Sports Association in that particular game and or sport in accordance with manner prescribed by Bihar State Sports Council.

(3) Notwithstanding, anything contained in this Act existing District Sports Association affiliated to Bihar Olympic Association shall be deemed to be affiliated to District Sports Council;

Provided that District Sports Council shall have authority to inquire and ascertain proper functioning of District Sports Association.

Provided further that District Sports Council on being satisfied on such enquiry as it may deem expedient that District Sports Association has not organized its proper functioning, it shall take such step as deemed expedient to organize and constitute Governing Body of District Sports Association in the manner prescribed by Bihar State Sports Council.

**9. Application for Registration of Sports Association.**-(1) An existing State Level Sports Association and any other future State Level Sports Association for a game or sports and its affiliated District Level Sports Association shall apply for registration of the Association, stating therein the name, address, area represented, game or sports represented by the Sports Association and with, complete details of the Executive Body and accompanied with the document specified in Schedule 'A'.

(2) If the Registrar finds that the requirement of sub section (1) is not satisfied, he shall, after giving a fifteen days notice to the applicant and an

opportunity of being heard pass appropriate order either allowing or refusing registration as the case may be.

**10. Framing of Constitution of a Sports Association.**-Subject to the provisions of this Act, every sports Association shall frame its constitution which shall consist of the following:-

- (a) Part 'A' - Memorandum containing its aims and objectives and area of operation.
- (b) Part 'B' - Bye-laws

**11. Bye-laws.**-(1) Subject to the provisions of this Act, every sports Association which seeks registration under this Act shall make, amongst other things, the following provisions in its bye-laws:-

- (a) Executive Body of the Sports Association shall be elected in a democratic manner in periodical elections.
- (b) Elections of the Executive Body shall be held at least once in every four years.
- (c) District Level Associations shall make provisions to abide by those decisions or direction of the concerned State level Sports Association, which are in consonance with the provisions of this Act.
- (d) Provisions to encourage the Sports and sports persons of every section of society without any discrimination.

(2) Every Sports Association shall incorporate a procedure for elections in its bye-laws, which shall, among other provisions, comprise the following:-

- (a) Provisions of an independent election officer.
- (b) Publication of a voters list before issue of notice of elections.
- (c) Minimum 21 days notice for election, issued under the name and seal of the Secretary of the Association accompanied by the audited accounts for the previous year and valid voters list.

(3) Subject to the provisions of sub section (4) every amendment in the bye-laws shall be passed by a special Resolution and shall be approved and registered by the Registrar under the provisions of this Act.

(4) If the Registrar is of the opinion that the proposed amendment is not in accordance with the provisions of this Act, he may return the proposed amendment along with the reasons to the Sports Association for reconsidering the same. The Sports association shall, thereafter, reconsider the proposed amendment and may resubmit fresh proposed amendments to the Registrar after bringing it in accordance with the provisions of this Act and after meeting the objections made. Thereafter the Registrar shall either approve or disapprove the proposed amendment and communicate his order with reasons to the concerned Sports Association.

**12. Membership of a Sports Association.**-(1) Every District Level Sports Association, registered under this Act, shall be a member of the concerned State level Sports Association.

(2) Every primary Sports Body shall be a member of the concerned District Level Sports Association.

(3) Subject to the provisions of this Act, any addition, deletion or change in membership may be made only at a General Body meeting of a sports Association.

**13. Minimum requirement of constituting a Sports Association.-** (1) A State Level Sports Association shall be constituted by a minimum of six district level Sports Association.

(2) A District Level Sports Association shall be constituted by a minimum of three primary Sports Bodies.

(3) A Primary Sports Body shall be constituted by a minimum of seven individuals.

**14. Constitution of the Executive Body.-** Executive body shall be constituted consisting of minimum of five and a maximum of twenty one members including the office bearers.

**15. Bihar Olympic Association and district Olympic Association.-**(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Bihar Olympic Association shall be given affiliation by the Bihar State Sports Council and shall be deemed to be a State level Sports Association.

(2) Every registered State Sports Association recognized and affiliated by Bihar State Sports Council shall be deemed to be affiliated to Bihar Olympic Association.

(3) Bihar Olympic Association shall issue a certificate of affiliation to all registered State Sports Association affiliated to Bihar State Sports Council.

(4) If Bihar Olympic Association refuses to grant certificate of affiliation to registered State Sports Association affiliated to Bihar State Sports Council for any reason whatever on an application made by State Sports Association, Bihar State Sports Council shall issue certificate of affiliation and certificate so issued by Bihar State Sports Council shall be deemed to have been issued by Bihar Olympic Association.

### **Chapter-III ELECTIONS**

**16. ELECTIONS.-**(1) Election of the Executive Body of a State Level Sports Association shall be held in the presence of an observer of the Bihar State Sports Council. Election of the Executive Body of a District Level Sports Association shall be held in the presence of Observer of its State Level Sports Association and observer of the District Sports Council.

(2) On conclusion of the election of the Executive Body of a Sports Association, the election officer shall issue a certificate, duly countersigned by the observers giving the names and addresses of the elected members. On issuance of such certificate the elected Executive Body shall take charge of the sports Association. The election officer shall send the copies of such certificate to the Registrar and the Bihar State Sports Council.

**17. Voting right.-** (1) Every member of a Primary Sports body shall have the right to cast one vote in the election of its Executive Body.

(2) Each affiliated primary Sports Body shall have the right to cast one vote on behalf of that primary Sports Body for the election of the executive Body of a District Level Sports Association.

(3) Each affiliated District Level Sports association shall have the right to cast one vote on behalf of that District Level Sports Association for the election of the Executive Body of a State Level Sports Association.

(4) No Individual member shall have a right to cast vote for election of the executive body of a District Level Sports Association or State Level Sports Association.

**18. Eligibility for contesting elections.-** (1) All individual members shall be eligible to contest the elections of a primary Sports Body.

(2) Office Bearers of all affiliated primary sports Bodies shall be eligible to contest the election of a District Level Sports Association.

(3) Office bearers of all affiliated District Level Sports Association shall be eligible to contest the elections of a State Level Sports Association.

(4) Anyone contesting election shall must possess the qualifications prescribed in Schedule B of this Act.

#### **CHAPTER-IV SETTLEMENT OF DISPUTES**

**19. Conciliation and Arbitration.-** (1) If any dispute arises relating to the constitution, management activity, election or claim to affiliation of any Sports Association, the same shall be resolved through Conciliation and Arbitration.

(2) The Arbitration and Conciliation Act, 1996 ( Act No. 26 of 1996) as amended from time to time, shall apply to the Conciliation and Arbitration proceeding referred to under sub section (1).

#### **CHAPTER-V ACCOUNTS, AUDIT AND INSPECTION**

**20. Accounts.-** Every Sports Association shall keep its accounts up to date.

**21. Audit.-** Every State Level Sports Association shall get its accounts audited by a Chartered Accountant and shall make appropriate arrangement for auditing of accounts of its affiliated District level Sports Associations.

**22. Returns.-** The statement of the accounts shall be sent within six months of the closing of the financial year by the primary Sports body to its District Level Sports Association, by the District Level Sports Association to its State level Sports Association, and by the State Level Spots Association to the Bihar State Sport Council.

**23. Power to call for Records and Inspection.-** (1) The Registrar or the Bihar State Sports Council may call for any record of a sports Association required for an enquiry under this Act.

(2) The State Level Sports Association may call for any record of and affiliated District Level Sports Association required for an enquiry under this Act.

(3) Bihar State Sports Council may call for any record of State Sports association, District Sports Council or District Level Sports Association for any enquiry under this Act.

## CHAPTER-VI

### DISAFFILIATION, INQUIRY AND DISQUALIFICATION

**24. Disaffiliation.-** (1) A State Level Sports Association may, after giving due hearing, disaffiliate District Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligation laid down in chapter VIII of this Act for two years in succession and inform the Registrar, who may then take appropriate action under section -27.

(2) The Bihar State Sports council may after giving due hearing disaffiliate any State Level Sports Association, which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for two years in succession and inform the Registrar, who may then take appropriate action under section-27.

**25. Grounds for Disqualification.-**(1) A Sports association shall be liable to action on the of the following grounds:-

- (a) If the Sports Association fails to maintain accounts and submits the same under section 20 or fails to produce the same when called for inspection.
- (b) If the Sports Association fails to hold Elections in accordance with its bye-laws or, as the case may be, when enjoined by the provisions of Chapter VII;
- (c) If the Sports Association fails to carry out its obligations under chapter VIII;
- (d) If the Sports Association or any of its Office bearers or any member misappropriates the funds for his personal gains or mismanages the affairs of the Sports Association to give undue benefit to any other person.

(2) A State Level Sports Association may after giving opportunity of being heard, recommend to the registrar that a District Level Sports Association affiliated to it may be deregistered if it-

- (a) Does not follow the directions of the State Level Sports Association in the matter of conducting tournaments and or flouts its Regulations.
- (b) Does not pay the affiliation fee.
- (c) Otherwise violates the provisions of its own registered bye-laws.

**26. Inquiry.-** (1) The Registrar may,

- (a) On the request of a State Level Sports Association, or Bihar State Sports Council or
- (b) On the request of not less then one fifth of the total members of a Sports Association, or on his own motion hold an enquiry, either himself or by a person duly authorized by him.

(2) The Registrar or the person authorized by him for the purpose of any inquiry shall have all the powers to inspect records and direct for production of and take copy of any document of the concerned sports Association for the purpose of the enquiry.

**27. Disqualifications.-** (1) After holding an inquiry, the Registrar after giving and opportunity of being heard to the affected Sports Association, may cancel its registration and disqualify Sports Association from seeking affiliation and further-

- (a) Appoint and ad-hoc Executive committee and cause to hold fresh elections of the Executive Body within three months,  
 (b) In the case of misappropriation of funds, take action in accordance with law.

(2) No existing office bearer of a Sports Association which is disqualified under sub section(1) shall be permitted to contest elections of any Sports Association for a period of six years from the date of such disqualification.

**28. Prohibition to represent or to use the name of the State and District.-**

(1) No person or group or persons, either individually or collectively shall represent or be allowed to represent the State of Bihar in any games or sports without being authorized by a registered and recognised State Level Sports Association.

(2) No Sports Association shall be entitled to use the expression 'Bihar' or use the name of a District as part of its name or undertake any Sports activity which results in representing the State of Bihar or a District as an affiliated unit of any National Federation, Board, or Association purporting to represent India, or in any other manner whatsoever, unless such Sports Association is registered as a State Level Sports Association under this Act and is affiliated to Bihar State Sports Council.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub section (1) and (2) above, shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine not exceeding Rs. 10,000/-or with both.

(4) No court shall take cognizance of any offence under this Section, except upon complaint made in writing by the Registrar or any officer authorized by him.

(5) The Registrar may, for reasons recorded in writing, compound any offence punishable under this Section. On composition of any offence under this Section, no proceedings shall be taken or continued in respect of such offence.

**CHAPTER-VII  
TRANSITION**

**29. Recognition.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, an Association undertaking games or sports activities at State or District Level and is already registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act 21 of 1860) shall be entitled to opt to be registered and recognized under this Act, and to receive a certificate thereof on application to the Registrar, and within thirty days from the date of commencement of this Act shall amend its by-laws to bring it in conformity with the provisions of this Act to the satisfaction of the Registrar, and submit all the documents specified in Schedule 'A' of this Act.

(2) If no such application is made within thirty days of the date of commencement of this Act or if the bye-laws of the Sports Association covered under sub section (1) are not brought in conformity with the provisions of this Act, at the expiry of thirty days from the date of commencement of the Act, the Registrar shall supersede the Executive Body of the Sports Association and an ad-hoc Executive Committee shall be appointed to manage the affairs of the Sports Association. Such an ad-hoc executive committee shall call an extraordinary General Meeting and get amended bye-laws approved within thirty days of taking

charge, apply for registration under the provisions of this Act and then proceed to conduct fresh election.

(3) After the amendment in bye-laws, fresh elections shall be held within thirty days from the date of such amendments in the cases where

(a) Such an amendment has been made after superseding the earlier elected Executive Body.

(b) Earlier elected executive body has been elected by voting collegiums which comprised members other than those provided under this Act;

Provided that the voting collegiums and eligibility of persons for contesting elections shall be determined on the basis of sub section (4)

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, at the commencement of this Act, the office bearers of the Executive Bodies of various State Level Sports Associations and District Level Sports Associations shall be determined in the following manner for the purpose of conduct in any fresh Elections under sub section (3):-

(a) For the State Level Sports Association, on the basis of the returns filed by the affiliated state Level Sports Associations with the Bihar State Sports Council and the record available with the Bihar State Sports Council based on such returns on the date of commencement of the Act.

(b) For the District Level Sports Association, primarily on the basis of returns filed by the affiliated State Level Sport Council on the date of commencement of the Act.

**30. Cessation of registration.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the registration of all the Sports Association which are registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act No.21 of 1860) and have opted for registration and recognition under section 29 shall cease to exist from the date of such option.

(2) Notwithstanding the cessation of registration of an Association under sub section (1), all the claims accrued of liabilities incurred or proceeding initiated prior to the commencement of this Act shall be claimed, suffered or, as the case may be, continued as if the registration has not ceased to exist.

(3) On cessation of registration of an Association under sub section (1) the property of the Association shall, subject to the bye-laws of the Association, continue to vest in such persons or body of persons in whom the property vested immediately prior to the commencement of this Act.

## CHAPTER-VIII

### RIGHT AND OBLIGATIONS OF SPORTS ASSOCIATION

**31. Right to participate.-** Every Sports Association shall have the right to participate in the sports activities conducted by the sports Association to which is affiliated, subject to the provisions in the bye-laws and Regulations of the affiliating Sports Association.

**32. Obligation of the State Level Sports Association.-** Every State level Sports Association other than Bihar Olympic Associations Shall;

(i) Conduct at least one inter-District State Championship, for the senior and juniors every year.

- (ii) Send its players and teams to participate at the National Level.
- (iii) Arrange to provide round the year training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Bihar State Sports Council.
- (iv) Arrange to give such prizes, scholarship, medals and other facilities as would encourage the sports persons.

**33. Obligations of the District Level Sports Association.-** Every District level Sports Association other than Bihar Olympic Associations shall;

- (1) Conduct at least one inter-District level Championship, for the senior and juniors every year.
- (2) Send its players and teams to participation at the State Level.
- (3) Arrange to provide round the year training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Bihar State Sports Council.
- (4) Arrange to give such prizes, scholarship, medals and other facilities as would encourage the sports persons.

#### **CHAPTER-IX Miscellaneous**

**34. Power to make Rules.-** (1) The State Government may by notification in the official gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the both Houses of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive session and, and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following in the House of the State legislature makes any modification in any of such rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule.

**35. Removal of difficulties.-** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, The State Government may, by general or special order published in the official gazette, give such directions as are not inconsistent with the provisions of this Act and may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty;

Provided that the power conferred under this section shall not be exercised after the lapse of three years from the date of enforcement of this Act.

**36. Protection of Acts done under the Act.-** No suit, or other legal proceedings shall lie against the State Government or any authority or officer or servant of the State Government for any act done or for any action taken in carrying out the provisions of this Act or the rules made there under.

**37. Amendment in schedule A, B, and C.-** The following procedure shall govern any addition or alteration to and deletion from the list provided under schedule A schedule B and C.

- (a) Bihar State Sports Council may send a written advice to Registrar after passing a Special Resolution.



(b) Upon receiving the written advice, the Registrar shall publish a notice of the proposed addition, alteration or deletion.

(c) Upon expiry of thirty days from the publication of such notice, the proposed amendment shall be considered by the State Government, and if the State Government thinks it fit, it may, by notification in the official Gazette, amend the concerned schedule;

Provided that all notification issued under this section shall be laid as soon as may be after there are so issued, before the House of the State Legislative.

**38. Appeal.**-Any Sports Associations or person aggrieved by an order made by the Registrar under the provisions of this Act may appeal against the order to Bihar State Sports Council within thirty days of such an order being made final and a revision against the order passed by Bihar State Sports Council shall lie with the High Court within thirty days of such an order;

Provided that Director, Student & Youth Welfare, Government of Bihar shall not participate in the proceeding in case of an appeal against the order of Registrar under the Act.

**39. Savings.**- All lawful actions taken or purported to have been taken by a Sports Association under the Societies Registration Act, 1860 (Act No. 21 of 1860) prior to the commencement of this Act shall be deemed to have been taken by virtue of its being registered as a Sports Association under this Act.

**40. Effect on societies formed under other Act.**- (1) If any society or company established for the purpose of sports and registered under any other law prior to the commencement of this Act contains as part of its name the expression "Bihar" or the name of any district of the State or its part, such society shall amend its name to remove "Bihar" or as the case may be, the name of the district from the registered name of the society within thirty days from the commencement of this Act.

(2) If any society fails to comply with the provisions of sub section (1) and such society has not opted to be registered under the provision of this Act, such society shall cease to have any existence under the provisions of this Act.

#### SCHEDULE-A

List of Documents necessary for registration:-

- 1 List of members attested by a Magistrate.
- 2 List of elected members of the executive Body
- 3 Certificate of Affiliation
- 4 Memorandum and Bye-Laws made in accordance with the provisions of this Act (in two copies).
- 5 Minutes of the general meeting
- 6 In the case of an existing Association, an undertaking to bring the bye-law in conformity with the provisions of this Act
- 7 Up to date audited accounts.

**SCHEDULE- B**

Qualifications for contesting elections and holding the post of an office bearer

- 1 He/She shall be a citizen of India.
- 2 He/She should possess any one Qualification listed below within the area of operation of the concerned Sports Association
  - (A) He/She has been born there,
  - (B) He/She is ordinarily resident there,
  - (C) He/She is working there,
  - (D) He/She possesses property there.
- 3 He/She has not been convicted in any criminal cases.
4. He/She has not been declared insolvent

**SCHEDULE- C**

Mandatory records to be maintained by a Sports Association

- 1 Register of Members
- 2 Minute Book of the meeting of the Executive Body.
- 3 Minute Book of the meeting of the General Body
- 4 Register of Accounts,
- 5 Records of activities, events and achievements.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उज्ज्वल कुमार दुबे,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 718-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>